IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018
Form – A

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

PRESENT – NIDHI GOVIND RAO JUDICIAL MAGISTRATE SECOND CLASS

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAXMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

DATE OF JUDGMENT – 20/06/2026

सूचक /परिवादी का नाम	वासुदेव चौधरी उर्फ लड्डू चौधरी
परिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान अधि. विवेकनन्द ठाकुर
अभियुक्त का नाम	1. लक्ष्मण चौधरी 2. बिक्रम चौधरी 3. अवधेश चौधरी
अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान अधि. श्री संजय कुमार तिवारी विद्वान अधि. श्री ब्रिजभूषण तिवारी

Form – B

अपराध का तिथि	27/05/2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद	01/06/2018
संज्ञान लेने की तिथि	05/11/2018
आरोप गठन की तिथि	26/11/2019
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	10/02/2020
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	20/06/2026
निर्णय की तिथि	20/06/2026
दंडादेश सुनाए जाने की तिथि,यदि कोई हो	N/A

अभियुक्त का विवरण :–

अभियुक्त	अभियुक्त	अभियुक्त की	जमानत	आरोप	दोषमुक्ति	सजा	द.प्र.सं.

IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

की सं	का नाम	गिरफ़्तारी की तिथि/आत्मसमर्पण	की तिथि	का गठन	दोष सिद्धि	सुनाया गया	1973 की धारा– 428 के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1. 2. 3.	लक्षमन चौधरी बिक्रम चौधरी अवधेश चौधरी	13/02/2019 13/02/2019 26/11/2019	13/02 2019 13/07 / 2019 26/11 / 2019	323 504 323 504 323 504	दोषमुक्ति	कोई नहीं	कोई नहीं

Form – C

अभीयोजन/ बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षी :- A - अभियोजन साक्षी :-

क्रम सं	नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षु साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट, मेडिकल, पंच साक्षी)
1.	धूरेन्द्र चौधरी	चक्षु साक्षी
2.	बसुदेव चौधरी उर्फ लड्डू चौधरी	पीड़ित /परिवादी

B- बचाव साक्षी

क्रम सं	नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षु साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट, मेडिकल, पंच साक्षी)
1.	N/A	N/A

C–

क्रम सं	नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षु साक्षी, पुलिस

		साक्षी, एक्सपर्ट, मेडिकल, पंच साक्षी)
1.	N/A	N/A

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श की सूची:–

अभियोजन की ओर से प्रदर्श :–

क्रम सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	N/A	N/A

बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श:–

क्रम सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	N/A	N/A

न्यायालय की ओर से प्रदर्श :–

क्रम सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	N/A	N/A

D– भौतिक प्रदर्श:–

क्रम सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	N/A	N/A

निर्णय

1. उपर्युक्त नामित तीनों अभियुक्त भा0 दं0 सं0 की धारा– 323, 504 के अंतर्गत आरोपों के लिए विचारण का सामना कर रहे है।

2. परिवादी द्वारा न्यायालय में दाखिल किए गए परिवाद के अनुसार परिवादी और अभियुक्तगण आपस मे पट्टीदार है। दोनों पक्षों मे बिभाजन हो चुका है। 27/05/2018 को जब परिवादी मजदूरी करने के लिए गए थे तो उनकी पत्नी से सूचना मिली की अभियुक्त संख्या–1 लक्ष्मण चौधरी उनके जमीन मे स्थित शीशम का पेड़ से डाल काट कर अभियुक्त संख्या–2 क साथ मिलकर चोरी करने के आशय से ले जा रहे है। परिवादी जब वह पहुच कर पूछताछ किया तो अभियुक्त मारने के लिए दौड़े जब परिवादी भाग कर अपने घर

पहुचे तो अभियुक्त भी पीछा करते हुए घर में घुस गए और परिवादी की पत्नी और के साथ मारपीट किए और जान से मार डालने की धमकी दिए।

3. परिवादी द्वारा 31/05/2018 को पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस ने एफ. आइ. आर . दर्ज नहीं किया इसलिए परिवादी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद दिनांक 01/06/2018 को लाया गया जिसको संज्ञान मे लेते हुए माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय द्वारा आगे की कार्रवाही के लिए इस न्यायालय मे स्थानांतरित कर दिया गया। परिवादी एवं उनके द्वारा प्रस्तुत गवाहों की जांच की दं.प्र .सं. 1973 धारा–202 के अंतर्गत करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक–05/11/2018 को अभियुक्त लक्ष्मण चौधरी,बिक्रम चौधरी,एवं अवधेश चौधरी के विरुद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा– 323,504 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया।

4. दिनांक 26/11/2019 को अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा– 323,504 आरोप का सारांश सुनाया गया। जिससे अभियुक्तों ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5. दिनांक 7/06/2024 को परिवादी साक्ष्य बंद किया गया । दिनांक 21/06/2024 को अभियुक्तगण का दं.प्र .सं. 1973 की धारा–313 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमे अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है की, क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने मे सफल हुआ है ? अथवा नही ?

मन्तव्य

7. परिवादी द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए कुल दो गवाह प्रस्तुत किए गए। जिसमे अभियोजन साक्षी 1. धूरेन्द्र चौधरी एवं साक्षी संख्या 2– वासुदेव चौधरी (परिवादी) हैं।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लौरिया थाना कांड संख्या 129/17 के एफ.आई.आर.,आरोप पत्र की प्रति, उक्त केस मे दिया गया दिनांक 13/04/2018 का संज्ञान आदेश की प्रति,लौरिया थाना कांड संख्या 130/17 के एफ.आई.आर. की प्रति ,आरोप पत्र की प्रति, उक्त केस मे दिया गया दिनांक 19/02/2018 के संज्ञान आदेश की प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया ।

8. परिवादी साक्षी संख्या 1 ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है की यह केस वासुदेव चौधरी द्वारा कुल 6 लोगों पर किया गया है। घटना 2 वर्ष पूर्व दोपहर 12 बजे की है। लक्ष्मण शीशम काट रहे थे । वासुदेव ने पुछा तो अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की, जब वासुदेव घर भाग कर आए तो अभियुक्तगण घर मे घुस कर भी मारपीट किए और घर में रखा रुपया ले लिया और वासुदेव की पत्नी के साथ भी मारपीट किए ।

IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

प्रतिपरीक्षा के पैरा 1 मे कहते है की, दोनों पक्ष आपस मे पट्टीदार है उस पेड़ को वासुदेव अपना कहते है पैरा 2 मे कहते है की, जिस खेत मे पेड़ था उसका खाता खेसरा याद नहीं पैरा 4 मे कहते है की, वासुदेव और उनकी पत्नी मारपीट से बेहोश हो गए थे वासुदेव की पत्नी का फटा कपड़ा मैंने देखा था। वासुदेव को भी 4–5 जगह चोट लगी थी खून नहीं बह रहा था।

9. परिवादी साक्षी संख्या 2 स्वयं परिवादी वासुदेव चौधरी है जो अपने मुख्य परीक्षा के पैरा 1 कहते है की यह केस मैंने 6 लोगों पर किया है । घटना 27/05/2018 दिन में 12 बजे की है घर से खबर गया की अभियुक्त मेरा शीशम का पेड़ काट रहे है। मैंने पहुच कर मना किया तो सब लोग मिलकर मेरे साथ मारपीट करने लगे। घर भागा तो सब लोग घर मे घुस गए और मेरे और मेरी पत्नी के साथ मारपीट किए और घर मे रखा 20 हजार रुपया भी उठा कर ले गए। परिवाद पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे प्रदर्श–1/DW2 अंकित किया जाए।

अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा–2 में कहते है की, मै और अभियुक्तगण आपस में पट्टीदार है हमारे बीच 25 वर्ष पहले ही बटवारा हो चुका है बटवारे का कागज हमारे पास है जिस जमीन में शीशम का पेड़ है उसका खाता खेसरा मुझे याद नहीं। प्रतिपरिक्षा के पैरा–3 में कहते है की घटना स्थल के उत्तर में मेरा बांस का पेड़ है,दक्षिण में लक्ष्मण चौधरी ,पूर्व में राजू चौधरी का खेत है, पश्चिम में बागीचा है। हमारे बीच बटवारा मेड द्वारा हुआ है । मेड के दक्षिण पूर्व मे शीशम का पेड़ था। हम लोग मारपीट मे बेहोश नहीं हुए थे मारपीट से जमीन पर गिर गए थे चोट 10,12 जगह पर लगी थी ।

बहस

10. बचाव पक्ष की ओर से बहस को सुना जिसमे बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया की परिवादी द्वारा पट्टीदारी की वजह से झूठा फसाने के लिए अभियुक्तगण पर केस किया गया है। अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को परिवादी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नही कर सके है। अतः अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हे दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

11. परिवादी लंबे समय से अनुपस्थित है दिनांक 05/02/2026 को परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने केस रिकार्ड को देखा परंतु परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना बहस प्रस्तुत नहीं किया गया।

विनिश्चय

12. इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए की क्या अभियोजन धारा 323 के अपराध को साबित करने मे सफल रहा है अथवा नहीं निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक है।

- अभियुक्त द्वारा पीड़ा,रोग या शारीरिक शिथिलता कारित करता है।
- ऐसी उपहति वह स्वेच्छया करता है।

IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

परिवादी साक्षी संख्या–1 अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा–4 में कहते है की,वासुदेव और उनकी पत्नी को अभियुक्तगणो के मारपीट से बेहोश हो गए थे अमृता देवी और वासुदेव को 4–5 जगह चोट लगी थी खून नहीं बह रहा था।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 वासुदेव (परिवादी) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा–3 में कहते हैं की,मारपीट से हमलोग बेहोश नहीं हुए थे,मारपीट से जामीन पर गिर गए थे। शरीर से खून नही निकल रहा था । मेरे शरीर पर 10,12 जगह चोट लगी थी । पैरा–4 में कहते है की लौरिया हास्पिटल में अपनी और अपनी पत्नी का ईलाज नहीं करवाया थे।

इन दोनों ही साक्षियों के साक्ष्य को एक साथ पढ़ने से साक्षियों के मध्य विरोधाभाष दिखता है एक तरफ जहां साक्षी संख्या–1 कहते है की दोनों पति –पत्नी बेहोश थे ,वहीं साक्षी संख्या–2 कहते हैं की बेहोश नहीं थे मारपीट से जमीन पर गिर गए थे, साक्षी संख्या–1 का कहना है की चोट 4–5 जगह लगी थी,वही दूसरी ओर साक्षी संख्या–2 का कहना है की 10–12 जगह चोट लगी थी। दोनों ही साक्षियों ने किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया है की किस अभियुक्त द्वारा मारापिट किया गया।

उपर्युक्त गवाही धारा 323 के अपराध को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है, इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो भा०दं०सं० 1860 की धारा–323 के अपराध को को युक्तियुक्त संभावना के परे साबित करे। अतः अभियोजन धारा–323 के अपराध को साबित करने में असफल रहा है।

13. इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए की क्या किसी व्यक्ति द्वारा भा . द . सं . 1860 की धारा 504 के अंतर्गत अपराध किया गया है या नहीं , निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों को साबित करना आवश्यक है ।

- अभियुक्त द्वारा आशय पूर्वक किसी व्यक्ति को अपमानित करना।
- इसप्रकार अपमानित करना प्रकोपित करने के आशय से किया गया हो या संभाव्य हो की प्रकोपित हो जाए।
- अभियुक्त को यह ज्ञान हो की इस प्रकार से अपमानित या प्रकोपित व्यक्ति सार्वजनिक शांति को भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कर सकता है।

दोनों ही अभियोजन साक्षियों के द्वारा न तो मुख्य परीक्षा में न ही प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य का साक्ष्य दिया गया है की अभियुक्तगण के द्वारा अपमानित करने के आशय से अभद्र शब्दों का प्रयोग या अन्य कोई बात परिवादी या उसकी पत्नी के लिए किया गया है,

अतः,अभियोजन पक्ष भा.द.सं. 1860 की धारा 504 के अंतर्गत अपराध को युक्तियुक्त संभावना के परे साबित करने में विफल रहा है।

IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

14. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है की अभियोजन पक्ष सूचक द्वारा लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने मे विफल रहा है ।

आदेश

अतः यह आदेश दिया जाता है की ,इस मामले मे विचारण का सामना कर रहे सभी अभियुक्तगण नामतः (1).लक्ष्मण चौधरी (2).विक्रम चौधरी (3).अवधेश चौधरी को उनपर लगाए गए भा. द.सं.1860 की धारा– 323,504 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं । अतएव उन्हे एवं उनके जमानतदारो को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है ।

लेखापित

(निधि गोविंद राव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी

बेतिया ,पश्चिमी चंपारण

यह निर्णय खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया एवं इसमें कुल 09 पन्ने है ,सभी पन्ने पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ,दिनांकित एवं मुहरांकित हैं ।

स्थान – बेतिया ,पश्चिमी चंपारण लेखापित एवं शुद्धिकृत

दिनांक – 20/06/2026 (निधि गोविंद राव)

न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी

बेतिया,पश्चिमी चंपारण

IN THE COURT OF NIDHI GOVIND RAO
JUDICIAL MAGISTRATE,SECOND CLASS
BETTIAH,WEST CHAMPARAN

VASUDEV CHAUDHARY V/S LAKSMAN CHAUDHARY

COMPLAIN CASE NO – 918 C/18
C.I.S. – Cri (P) 878/2018

 continue..